न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—440/2016/223 (2016/00440)

1. धन्नाराम वल्द पन्नालाल, जाति रेगर, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती सायरी पत्नि स्व0 धन्नाराम,
   1/2— नारायण पुत्र स्व0 धन्नाराम,
   1/3— कैलाशचन्द पुत्र स्व0 धन्नाराम,
   1/4— हरिप्रसाद पुत्र स्व0 धन्नाराम,
   1/5— बालकराम पुत्र स्व0 धन्नाराम,
   समस्त जाति रेगर, निवासी जैतगढ़ बामनिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. भंवरलाल वल्द पन्नालाल, जाति रेगर,
3. मिश्री वल्द पन्नालाल, जाति रेगर,
4. अम्बालाल वल्द पन्नालाल, जाति रेगर,
   समस्त निवासी गांव जैतगढ़ बामनीया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
   बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद बिरधा वल्द उगरा, जाति रेगर, निवासी जैतगढ़ बामनीया, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मादू वल्द धन्ना, जाति रावत,
2. श्रीमती मेथी बेवा धन्ना, जाति रावत,
3. प्रताप वल्द पूनाजी जाति रावत,
4. रमेश पुत्र पूनाजी, जाति रावत,
5. उदा वल्द पूना, जाति रावत,
6. संतोष वल्द पूना, जाति रावत,
7. मीरा पुत्री पूना, जाति रावत,
8. चन्दरी पुत्री पूना, जाति रावत,
9. नेमी पत्नि पूना, जाति रावत,
   प्रत्यर्थी संख्या 3 से 9 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद पूना वल्द धन्ना, जाति रावत, निवासी गांव जैतगढ़ बामनीया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 9.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 2/2010.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 9 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 10 व 11.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 91 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 व धारा 136 भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर कथन किया कि मौजा गांव जैतगढ बामनिया, तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 232 हाल खसरा नंबर 150 रकबा 2—16—10 बीघा भूमि स्थित है । वादीगण ने वादपत्र में सजरा अंकित कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त वादीगण के पूर्वज धीरा व अमरा उर्फ उगरा थे जो अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे । धीरा के पुत्र पन्नालाल उत्पन्न हुए व अमरा उर्फ उगरा के एक मात्र पुत्र बिरधा उत्पन्न हुआ । बिरधा नाऔलाद फौत हुए उनके फौत होने से वादीगण ही उनके एकमात्र उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजी पर उन्हीं का कब्जा काश्त बदस्तुर सबकी जानकारी में चला आ रहा है । वादीगण के पूर्वज अनुसूचित जाति रेगर जाति के रहे है और ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ किसान रहे है तथा राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रखते है । वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9 या उनके पूर्वजों को वादग्रस्त आराजी का कोई हक हिस्सा अन्तरित नहीं किया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 9 या उनके पूर्वजों ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करवा ली जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का कोई कब्जा नही रहा बल्कि कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 दिनांक 19.12.2009 को कब्जा करने आये किन्तु वादीगण ने उन्हें कब्जा नहीं करने दिया, किन्तु उन्होनें धमी दी कि विवादित भूमि पर वे जबरन कब्जा करके रहेंगे तथा किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर देगें। वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जवो तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व पूर्वज पूना का नाम राजस्व रिकार्ड से निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2016 को पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के अनुपस्थित पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त वादीगण के पूर्वज धीरा व अमरा उर्फ उगरा थे जो अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे । धीरा के पुत्र पन्नालाल उत्पन्न हुए व अमरा उर्फ उगरा के एक मात्र पुत्र बिरधा उत्पन्न हुआ । बिरधा नाऔलाद फौत हुए उनके फौत होने से वादीगण ही उनके एकमात्र उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजी पर उन्हीं का कब्जा काश्त बदस्तुर सबकी जानकारी में चला आ रहा है । वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9 या उनके पूर्वजों को वादग्रस्त आराजी का कोई हक हिस्सा अन्तरित नहीं किया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 9 या उनके पूर्वजों ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करवा ली जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का कोई कब्जा नही रहा बल्कि कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है ।

प्रश्नगत डिक्री दिनांक 9.6.2016 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक व विधिक दोनों ही स्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल होने के साथ–साथ गलत आधारहीन व विधिविरूद्ध होने से किसी भी स्थिति में कानूनी विद्यमान रहने योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 में पत्रावली जब तलबी प्रतिवादी संख्या 3, 5 से 8 के लिये चल रही थी तो अधी0न्याया0 को सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3, 5 से 8 की तलबी कर उन्हें प्रतिवाद पत्र का अवसर देकर तथा तनकियात कायम कर पक्षकारान की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश करने, अंतिम बहस सुनने के पश्चात् ही गुणावगुण पर प्रकरण को तय किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने मूल वाद राजस्व कैम्प सरवीना मे रख बिना पक्षकारान को सूचित किये व सुने केवल मात्र राजस्व कैम्पों में फैसल करने की संख्या बढ़ाने की गरज से वाद गुणावगुण पर निर्णित कर खारिज कर दिया जो कतई गलत, गैर कानूनी व बिना विधिक प्रकिया का पालन किये खारिज कर दिया है जो निरस्तनीय है । वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पूर्वज का नाम बतौर खातेदार अंकित है किन्तु वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित कर दिया जिस बाबत् धारा 42 राज0काश्त0अधि0 सुस्पष्ट है । इसकी भी अधी0न्याा0 ने अनदेखी कर भारी भूल की है । मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रतिवाद पत्र पेश कर दिया था अतः अधी0न्याया0 को विधिक प्रकिया के तहत तनकियात की रचना की जाना बंधनकारी था किन्तु अधी0न्याया0 ने आदेश 14 की अवहेलना कर भारी भूल की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये वाद निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर समुचित साक्ष्य का अवसर दिये जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश प्रदान करावें ।

5. हमनें विद्वान वकील अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की आदेशिक दिनांक 22.2.2016 के अनुसार पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 व 4 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 हेतु दिनांक 5.4.2016 की नियत की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5 से 8 के सम्मन तलवाना जारी करने के आदेश दिये गये थे तथा प्रतिवादी संख्या 9 के सम्मन पेश करने के आदेश दिये गये थे किन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 5 से 8 के सम्मन तामील होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 के सम्मन पेश होने से पूर्व ही तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 व 4 जा0दी0 को निर्णित किये जाने से पूर्व अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 232 के संबंध में राजस्व वाद संख्या 35/1983 पन्ना बनाम माधू वगैरह दिनांक 13.3.1985 को खारिज हो चुका है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपील डिक्री संख्या 70/1987 निर्णय दिनांक 19.5.1993 के द्वारा खारिज कर दिया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली प्रतिवादीगण संख्या 3, 5 से 8 व 9 की तामीली में शेष होकर पत्रावली अंतिम बहस हेतु पूर्ण नहीं थी । अधी0न्याया0 को उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण होने के उपरांत प्रतिवादीगण को जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में अंकितानुसार विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में वाद निर्णित होने के क्रम में रेसज्यूडिकेटा बाबत् तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 3, 5 से 9 की तामील होने से पूर्व ही वाद को

खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 3, 5 से 9 की समुचित तामील उपरांत वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तथा विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में हुए निर्णयों के आधार पर रेसज्यूडिकेटा के संबंध में भी तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर